न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2019 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

रामगिरी पिता देवगिरी गोस्वामी, निवासी झामर कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... विपक्षी

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 रा0 का0 अ0 एवं आदेश 41 नियम 1 CPC विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर मुकदमा नंबर 138/2017 निर्णय दिनांक 28.03.2019

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 20–09–2021**

प्रार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 02.08.2017 के लिए नियत थी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 07.06.2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन माननीय आप न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है एवं आप न्यायालय द्वारा जो सामग्री फेस ऑफ द रिकार्ड है, उसका अवलोकन नहीं किया गया है। इसलिए यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं रेकार्ड अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2019 को विधि सम्मत बताते हुए प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी की अपील इस आधार पर खारिज की गयी कि अपीलान्ट/वादी का वाद मूल रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर था तथा काश्तकारी कानूनी में एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। प्रार्थी ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो उजर उठाये हैं, वह रिव्यू प्रार्थना पत्र की ताईद में नहीं आते हैं। तद्नुसार हम प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं।

अतः रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2019 यथावत रखी जाती है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर